रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1998/पौष 8, 1920
No. 549] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1998/PAUSA 8, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1122(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा समुद्रों, खाड़ियों, ज्वारनदमुखों, क्रीकों, नदियों और पश्चजलों के कतिपय तटीय भागों को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त तटीय विनियमन परिक्षेत्र में उद्योगों, संक्रियाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार करने पर निर्बन्धन अधिरोपित किया था;

और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उक्त अधिसूचना में यथा अभिकथित उच्च ज्वार रेखा के सीमांकन पर पुनर्विचार-विमर्श किया है और उसके लिए प्रक्रिया सरल करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

पैरा 1 के उप पैरा (3) में "इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उच्च ज्वार रेखा से अभिप्रेत है भूमि संबंधी वह रेखा जिस तक वृहत् ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है और जिसका सीमांकन भारत के महासर्वेक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकारी द्वारा देश के सभी भागों में समान रूप से किया जाएगा।", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उच्च ज्वार रेखा से अभिप्रेत है भूमि संबंधी वह रेखा जिस तक वृहत् ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है। उच्च ज्वार रेखा का सीमांकन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाप्राधिकृत प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा देश के सभी भागों में इस संबंध में जारी किए साधारण दिशानिर्देशों के अनुसार समान रूप से किया जाएगा।"

[सं. जेड-17011/8/92-आई. ए.-III]

के. राय पाल, अतिरिक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्या का. आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी और तदुपरान्त :—

(i) का. आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994

(ii) का. आ. 73(अ), दिनांक 31 जुलाई, 1997

(iii) का. आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997

(iv) का. आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998

(v) का. आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998

के द्वारा संशोधित किया गया।